

ग्राम पंचायत भलोड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भलोड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 तक के दौरान ग्राम पंचायत भलोड़ी में निम्नलिखित पदाधिकारी/आहरण व संवितरण अधिकारी कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री आयूब खान	01-04-2024 से 31-03-2025 तक

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री भूमि चंद	01-04-2024 से 31-03-2025 तक

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत भलोड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खाते के अन्तशेष में अन्तर	5.1	1.02
2	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि का अवरोधन	6.1	3.94
3	स्वः स्रोत आय की बकाया राशि	7.1	0.29
4	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही चयनित माह के दौरान खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे।	8.1	₹6.47
5	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	₹0.36
6	कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना।	8.3	₹71.89
7	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	9.1	₹6.53
8	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर निर्धारित अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9.2	₹2.08

(घ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भलोड़ी का अंकेक्षण, अवधि 04/2022 से 03/2023 के लिये किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/SML/2025/02 दिनांक 07-07-2025 द्वारा सचिव को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव ने बताया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई उपरान्त विभाग को सूचित कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत

अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये तदनुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अवगत करवाये जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	03	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की राशि को जमा करवाने उपरान्त
2.	04.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	04.2	अनिर्णीत	-
4.	05(4.3)	अनिर्णीत	-
5.	06.1	अनिर्णीत	-
6.	07	अनिर्णीत	-
7.	7.2	अनिर्णीत	-
8.	08.1	अनिर्णीत	-
9.	08.2	अनिर्णीत	-
10.	08.3	अनिर्णीत	-
11.	08.4	अनिर्णीत	-
12.	08.5	अनिर्णीत	-
13.	09.1	अनिर्णीत	-
14.	09.2	अनिर्णीत	-
15.	09.3	अनिर्णीत	-
16.	09.4	अनिर्णीत	-
17.	10.1	अनिर्णीत	-
18.	10.2	अनिर्णीत	-
19.	10.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
20.	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भलोड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 07-07-2025 से 15-07-2025 तक ग्राम पंचायत भलोड़ी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2024-2025	04/2024	10/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत भलोड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/SML/2025/10 दिनांक 15-07-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत भलोड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2024 से 03/2025 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान: ग्राम पंचायत भलोड़ी के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत & NDRF

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2024-25	36268.00	858816.00	895084.00	841580.00	53504.00

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2024-25	1065810.00	12670990.33	13736800.33	13342615.93	394184.40

कुल योग (1+2) ₹53504.00 + ₹394184.40 = ₹447688.40

(ब) ग्राम पंचायत भलोड़ी, का दिनांक 31/03/2025 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2025
1.	15 th FC	17710113893	HPSCB Bhanjrarau	209102.40
2.	RGSA	17710113891	HPSCB Bhanjrarau	71107.00
3.	Own Source , 5 th SFC	17710113892	HPSCB Bhanjrarau	269418.00
			Cash In hand	0.00
			TOTAL	₹549627.40

अन्तर (ब-अ) ₹549627.40 - ₹447688.40 = ₹101939.00

4.2 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण अब केवल ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने के कारण इससे सम्बन्धित (वित्तीय विवरण व उससे सम्बन्धित पैरों को छोड़कर) पैरों का विवरण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया जायेगा।

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.02 लाख का अन्तर ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत भलोड़ी, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2025 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹101939.00 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 खाता “क” तथा “ख” को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता “क” तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता “ख” अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अनुदानों NDRF के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹3.94 लाख का अवरोधन ।

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹394184 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था । जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा ।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-05 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा । अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.29 लाख की वसूली न करने बारे ।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा ।

ग्राम पंचायत भलोड़ी के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था । जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹28700 वसूली हेतु शेष थी ।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल वसूल राशि	बकाया राशि
2024-25	14350	287	50	14350	28700	0	28700

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-09 दिनांक 14-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹1025/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2024-25	13	04@200	-	800	09@25	-	225	1025

इस सम्बन्ध में जारी अध्याचना संख्या-09 दिनांक 14-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अतः उपरोक्त राशि की वसूली उपरान्त सरकारी राजकोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही चयनित माह के दौरान राशि ₹6.47 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे।

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत भलोड़ी के चयनित माह के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹646680 (संलग्न परिशिष्ट "4" के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W, X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णतः अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 07 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, किसी भी आपूर्तिकर्ता के पास W, X फॉर्म उपलब्ध न होने के कारण पंचायत द्वारा भुगतान किया

गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयलटी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः उक्त अनियमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.36 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C,I) एवं GST वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत भलोड़ी के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹1786685/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम व वस्तु व सेवा कर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर केवल चयनित माह में ही राशि ₹35734/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई

परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये तथा चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों के दौरान ऐसे मामलों में अपने स्तर पर गणना करके अपेक्षित टीडीएस की राशि को शीघ्र सरकारी राजकोष में नियमानुसार जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 ग्राम पंचायत के कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर निष्पादित राशि ₹71.89 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माह की लेखा परीक्षा के दौरान संलग्न परिशिष्ट "6" के अनुसार राशि ₹7189000 ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-06 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियन्ता के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए जिससे उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके।

प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अतः उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹6.53 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त,बजट,लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46(2) के अनुसार वाउचर का पूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य होना व नियम 47 के तहत सभी दावे बिलों पर तथा बिल नियम 48 के अनुसार (सभी बिल) प्रथमतः बिल रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने उपरान्त अदायगी हेतु पारित किये जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत भलोड़ी के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹653310 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल केश मैमों, परफोर्मा बिल व सादे कागज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर केश मैमों, परफोर्मा बिलों व सादे कागज पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर व बिलों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतर भुगतान केश मैमों, परफोर्मा बिल व सादे कागजों पर ही किये गये हैं जोकि कि संदिग्ध प्रतीत होता है टैक्स बिल न होने के कारण क्रय सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने

वाले राजस्व GST इत्यादि की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹2.08 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operational Guidelines 2013) नियम 7.4 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹200896 (1.61%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उद्देश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय लाखों) (में)	मजदूरी पर व्यय(लाखोंमें)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्ययलाखों) (में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
1.	2024-25	124.78	72.86	58.39 %	51.92	41.61%
सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय					₹200896	+ 1.61%

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-08 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव ने बताया कि, मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जायेगी। अतः उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़बही को प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ₹3941758.24 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदनुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

9.4 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना ।

ग्राम पंचायत के व्यय चयनित माह के दौरान मनरेगा अनुदान के अंतर्गत किये गए भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है ।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 10-07-2025 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते । उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs का पंचायत में न पाया जाना को

न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 मनरेगा ऑनलाइन में उपलब्ध रिपोर्ट्स के आंकड़ों में अंतर बारे।

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट्स के अवलोकन में पाया गया कि इनमें प्रदत्त आंकड़ों में काफी अंतर पाया गया यथा मजदूरी पर व्यय ₹69.41 लाख दर्शाया गया जबकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट में यह व्यय ₹73.11 लाख पाया गया इसी प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में मजदूरी व सामग्री अनुपात रिपोर्ट में कुल व्यय ₹124.78 लाख दर्शाया गया। जबकि वित्तीय विवरणों के अनुसार यह ₹110.25 लाख ही पाया गया इस प्रकार उक्त विभिन्न रिपोर्ट्स के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते हैं।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-08 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, उक्त ऑनलाइन आंकड़ों की छानबीन उपरान्त लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त मामले में एक ही अवधि में अलग-अलग रिपोर्ट्स में पाए गए आंकड़ों के अंतर की छानबीन उपरान्त वस्तुगत स्थिति से लेखा परीक्षा को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.1 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 05 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्ट्रों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

क्र०	रजिस्टरअभिलेख/	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	(1)15	संधारित नहीं

4.	अनुदान रजिस्टर	21	(1)61	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	(4)29	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	(1)95	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26 व 25	AB (1) 72	अपूर्ण
9.	बही खाता (Ledger)	07	(4 से 1) 29	संधारित नहीं
10.	ग्राम पंचायत का स्टॉकसामग्री / रजिस्टर	06 व 01	34	अपूर्ण
11.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुछ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। उक्त अभिलेखों का संधारण न किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर स्टोर/स्टॉक रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमिता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

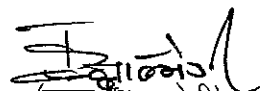
ग्राम पंचायत भलोड़ी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-05 दिनांक 10-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर

विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।
13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति जा रही है। जोकि न केवल नियमों की अवहेलना है अपितु इससे किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

11 8 AUG 2025


(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

5373-5377 का/57

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच(पंच) 15(7)124/2023 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भलोडी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11 8 AUG 2025


(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

का/57

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Annual Financial Position of GP Bhalodi Development Block Tissa for the Year 2024-2025

1. Own Source & NDRF

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	36268.00	858816.00	895084.00	841580.00	53504.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1065810.00	12670990.33	13736800.33	13342615.93	394184.40

447688.40

1+2 (53504+394184.40)

Closing Balance as per Cash Books

447688.40

Closing Balance as per Bank Passbook

549627.40

Difference (Less in Cash books)

-101939.00

प्रधान
ग्राम पंचायत भलोडी
विकास खण्ड तीसा जिला चम्बा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhalodi
Dev. Block Tissa (Chamba)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Annual Financial Position Grants in Aids of GP Bhalodi for the Year to 2024-2025

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2024-25	0.00	11025035.33	11025035.33	11025035.33	0.00
2	15th FC	2024-25	4082.00	678896.00	682978.00	474124.60	208853.40
3	VMJS	2024-25	103061.00	299810.00	402871.00	402871.00	0.00
4	SDP	2024-25	0.00	392000.00	392000.00	389928.00	2072.00
5	RGSA	2024-25	850243.00	23249.00	873492.00	805657.00	67835.00
6	5th SFC	2024-25	108424.00	252000.00	360424.00	245000.00	115424.00
			1065810.00	12670990.33	13736800.33	13342615.93	394184.40

प्रधान
ग्राम पंचायत बलोदी
बिलास खण्ड तीसा जिला चम्बा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhalodi
Dev. Block Tissa (Chamba)

Annexure "3" Referred in Para number
Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o G P Bhalodi, Char

Income Tax TDS Section 194 C						
SR.	NAME OF VENDER/	GRANTS/	VOUCHER/	NAME OF	AMOUNT	TDS
NO.	SUPPLIER	HEAD	DATE	MATERIAL	PAID	2%
1	M/S Mazeed Mohd.	MGREGA	Nil/	Sand &		
	PO Ayal, Churah, Chamba		24-10-2024	Cement Carriage	21360.00	427.20
2	M/S Mohammad Aslam	MGREGA	Nil/	Carriage of Sand,		0.00
	PO Bhandal, Churah, Chamba		24-10-2024	Cement & Pipe	18000.00	360.00
3	M/S Mazeed Mohd.	MGREGA	Nil/	Cement Carriage	11520.00	230.40
	PO Ayal, Churah, Chamba		24-10-2024	Sand & Agg.	45760.00	915.20
4	M/S Raj Deen s/o Gulama	MGREGA	Nil/	Carriage of Sand,		0.00
	PO Mansa, PO Aial, Chamba		24-10-2024	Cement & Agg.	67450.00	1349.00
5	M/S Yash Pal S/o Devi Singh	MGREGA	Nil/	Carriage of Sand,	60000.00	1200.00
	Village Shikari, PO Ganed		24-10-2024	& Cement	45000.00	900.00
6	M/S Het Ram s/o Jagdev	MGREGA	Nil/	Carriage of Sand,		0.00
	Village Ludrora PO Aial		24-10-2024	& Cement	117220.00	2344.40
7	M/S Mazeed Mohd.	MGREGA	Nil/	Carriage of Stone		0.00
	PO Ayal, Churah, Chamba		24-10-2024		51000.00	1020.00
8	M/S Virender S/o Nag Chand	MGREGA	Nil/	Carriage of Sand,	216000.00	4320.00
	Village Khairana. PO Aial		24-10-2024			
				Total 1	653310.00	13066.20

GST TDS SECTION 51 A

9	M/S Avinash Traders PO Ganed. Churah, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	HDEP Pipe 20mm 129 Rolls GI Union 90 pcs	420000.15	8400.003
	Bill No. 1616 to 1618 dt.03-10-2024		HDEP Pipe	TMT Sariya 10mm 1283.10 KG	92372.70	1847.454
	Bill No. 1619 to 1621 dt.03-10-2024		TMT	CGI Sheets 414 Nos	621001.84	12420.037
	Bill No. 1593 to 1615 dt.03-10-2024		CGI Sheets			
				TOTAL 2	1133374.69	22667.49
				Grand Total (1+2)	1786684.69	35733.69

प्रधान
ग्राम पंचायत भलाडी
विकास खण्ड तीसा जिला चम्बा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhalodi
Dev. Block Tissa (Chamba)

20

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BHALODI TO WHOM PAYMENT MADE
WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2024 TO 03/2025

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Mazeed Mohd. PO Ayal, Churah, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Sand Agg. Stone	17.42 11.26 42.00	27.87 21.84 94.08	98560.00 39800.00 63000.00
2	M/S Raj Deen s/o Gulama PO Ayal, Churah, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Sand Agg.	9.47 8.49	15.15 16.47	31450.00 30000.00
3	M/S Muhamand Aslam PO Ayal, Churah, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Sand	26.18	41.89	72000.00
4	M/S Raj Deen s/o Gulama PO Mansa, PO Aial, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Sand Stone Agg.	12.76 6.00 2.20	20.42 13.44 4.27	52670.00 9000.00 7800.00
5	M/S Virender S/o Nag Chand Village Khairana. PO Aial	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Sand Sand	20.98 66.25	40.70 128.53	57000.00 159000.00
6	M/S Het Ram S/o Jagdev Village Ludrora PO Aial	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Stone	22.60	50.62	26400.00
				TOTAL	245.61	475.28	646680.00

प्रधान
ग्राम पंचायत भलोडी
विकास खण्ड तीसा जिला चम्बा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhalodi
Dev. Block Tissa (Chamba)

20

21

Annexure 4 Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Bhalodi Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	REMARKS
1	M/S Mazeed Mohd. PO Ayal, Churah, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Sand & Cement Carrige	21360.00	Plain Paper
2	M/S Mohammad Aslam PO Bhandal, Churah, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Carrige of Sand, Cement & Pipe	18000.00	G.R.
3	M/S Mazeed Mohd. PO Ayal, Churah, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Cement Carrige Sand & Agg.	11520.00	Plain
4	M/S Raj Deen s/o Gulama PO Mansa, PO Aial, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Carrige of Sand, Cement & Agg.	45760.00	Paper do
5	M/S Yash Pal S/o Devi Singh Village Shikari, PO Ganed	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Carrige of Sand, & Cement	67450.00	do GR
6	M/S Het Ram s/o Jagdev Village Ludrora PO Aial	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Carrige of Sand, & Cement	60000.00	do Plain
7	M/S Mazeed Mohd. PO Ayal, Churah, Chamba	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Carrige of Stone	117220.00	Paper Plain
8	M/S Virender S/o Nag Chand Village Khairana. PO Aial	MGREGA	Nil/ 24-10-2024	Carrige of Sand,	51000.00	Paper
					216000.00	Performa
						G.R.
				TOTAL	653310.00	

प्रधान
ग्राम पंचायत भलोडी
विकास खण्ड तीसा जिला चम्बा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhalodi
Dev. Block Tissa (Chamba)

22

Annexure "6" Referred in para "8.3"

S.No./Grant	Work Detail	Sanction	Documents not Presented
1/MGNEGA	1302007290/LD/8000106398 (C/o Land Protection work at Bhuteli & Hiyan)	799000	MB, Estimate, Work order and Technical sanctionorder, UCC, Form-13c in Format-34 FRA etc.
2/MGNEGA	1302007290/LD/8000106399 (C/o Land Protection work at Bikka, Dehrog)	499000	
3/MGNREGA	1302007290/LD/8000106400 (C/o Land Protection work at Khairna-1st,2nd & 3rd)	699000	
4/MGNREGA	1302007290/LD/8000106401 (C/o Land Protection work at Ladrora, Chanalwin)	998000	
5/MGNREGA	1302007290/LD/8000106404 (C/o Land Protection work Chandrol-1st,2nd)	500000	
6/MGNREGA	1302007290/RC/8000207442 (C/o Inter lock Tile path at Halei)	476000	
7/MGNREGA	1302007290/RC/8000207445 (C/o Inter lock Tile path at Jiwala)	476000	
8/MGNREGA	1302007290/RC/8000207447 (C/o Inter lock Tile path Thanela)	476000	
9/MGNREGA	1302007290/RC/8000207448 (C/o Internal Tile path at Mansa)	476000	
10/MGNREGA	1302007290/RC/8000207456 (C/o Pacca path at Bikka)	497000	
11/MGNREGA	1302007290/RC/8000207457 (C/o Pacca Path at Khangu (Meghthu))	497000	
12/MGNREGA	1302007290/RC/8000207458 (C/o Pacca Path at Shalwan)	498000	
13/MGNREGA	1302007290/RC/8000207459 (C/o Pacca Path at Tikri-1st,2nd)	298000	
Total :-		7189000	

प्रधान
ग्राम पंचायत भलोदी
विकास खण्ड तीसा जिला चम्बा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhalodi
Rev. Block Tissa (Chamba)

